

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(20)एमई/ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक :


आदेश

21 JUN 2019

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24खख के उपनियम-5 के अन्तर्गत गठित डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंषा पर कार्डियोलोजी विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षक को डीएसीपी स्कीम के तहत उसके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेगा :-


क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. दीपक माहेश्वरी	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018

∴

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


(जी.आर. रावल)
शासन सहायक सचिव